राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.6(346)नविवि/2010 जयपुर, दिनांक 19 JAN 2021

अधिसूचना

यतः ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आवासीय योजना विकसित करने हेतु निजी खातेदारों की कुल किता 15 रकबा 8.65 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु नगर विकास न्यास, कोटा के प्रस्तावानुसार भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचना दिनांक 03.12.2010 तथा धारा 6 के अधीन अधिसूचना दिनांक 11.04.2011 जारी की गई थी;

यतः ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नं. 126 के खातेदार श्री मनोज कुमार नन्दवाना, श्रीमती अर्पिता नन्दवाना एवं श्रीमती पूजा नन्दवाना और नगर विकास न्यास, कोटा के मध्य दिनांक 31.05.2018 को हुए समझौते के अनुसार खसरा नं. 126 के रकबे 1.53 हैक्टेयर में से 2804 वर्गमीटर भूमि सडक हेतु नगर विकास न्यास, कोटा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जायेगी एवं शेष भूमि 12496 वर्गमीटर (1.2496 हैक्टेयर) भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात नगर विकास न्यास, कोटा को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आवासीय योजना के लिए अवाप्त की जा रही थी, को नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा उक्त समझौते के अनुसार अवाप्ति से मुक्त करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। उक्त समझौते के क्रम में नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि खसरा नं. 126 के रकबा 12496 वर्गमीटर (1.2496 हैक्टेयर) को अवाप्ति से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है;

अतः अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नं. 126 के रकबा 12496 वर्गमीटर (1.2496 हैक्टेयर) भूमि को अवाप्ति से मुक्त करती है।

आज्ञा से,

(मनीष गोयल)।
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपी :–

1. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन संबंधी कार्यवाही एवं वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner